



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

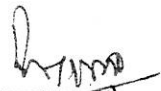
आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, कोरबा द्वारा सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र प्रतापपुर की आरक्षित वन भूमि 1.210 हे. संरक्षित वन भूमि 6.942 हे. एवं तहसील प्रतापपुर के सेमराकला, सौतार, चन्देली, मसगा, करसी, मकनपुर एवं बरबसपुर की कुल राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) 3.091 हे. कुल 11.243 हे. एवं बलरामपुर वन मंडल अंतर्गत राजस्व वन भूमि 6.961 हे.; कुल 18.204 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन भूमि (हे. में)	संरक्षित वन भूमि (हे. में)	राजस्व वन भूमि (हे. में)	कुल वन भूमि (हे. में)
1	सूरजपुर	1.210	6.942	3.091	11.243
2	बलरामपुर	-	-	6.961	6.961
	योग	1.210	6.942	10.052	18.204

उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 15/12/2016

स्थान: रायपुर


(बी. एल. सरन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
छत्तीसगढ़, रायपुर